

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- **251** / 1जी-FP/UK/MIN/20542/2016 देहरादून: दिनांक: **20** जुलाई, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज, वन प्रभाग देहरादून, स्वारना नदी के 23.75 है० वन भूमि क्षेत्र से उपखनिज चुगान हेतु वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किया जाना। FP/UK/MIN/20542/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव उप खनिजों के चुगान से सम्बन्धित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी-FP/UK/MIN/20542/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
- जिलाधिकारी, देहरादून।
- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।

(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:जनपद— देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज, वन प्रभाग देहरादून, स्वारना नदी के 23.75 हैं। वन भूमि क्षेत्र से उपर्यन्त चुगान हेतु वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किया जाना।
FP/UK/MIN/20542/2016

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु देहरादून वन प्रभाग में 23.75 हैं। आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त उपर्यन्त चुगान हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून तथा वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्छा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : २० / 07 / 2016

स्थान : देहरादून